लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/88/2017 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 22.11.2017

श्री श्रवण कुमार गुर्जर पूर्व नायब तहसीलदार, हाल ग्राम खेरमालिया, तह. बडीसादडी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 19.12.2017

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 05.09.2017 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर अपीलार्थी को आधी–अधूरी सूचना उपलब्ध कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 88/2017/(19.12)/878 दिनांक 22.11.2017 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 19.12.2017 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 19.12.2017 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि उसे आज तक चाही गई पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः अपील अनुसार पूरी सूचना दिलाने की कृपा करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स प्रस्तुत नहीं किये।

प्रकरण संख्या 88 / 2017 (सू.अ.)
श्री श्रवण कुमार गुर्जर निवासी खेरमालिया बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.09.2017 से दो बिन्दुओं पर सूचना चाही गई जिसमें से बिन्दु संख्या 1 में अपीलार्थी द्वारा एच.डी.एफ.सी. ऋण खाते की दिनांक 01.04.2004 से अब तक के विवरण की प्रमाणित प्रतियां चाही गई जबकि उसे दिनांक 01.04.2004 से 24.10.2016 तक की ही सूचना उपलब्ध कराई गई है जबकि कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/कोष/भवन ऋण/फा.68/15–16/NDC–77 दिनांक 20.12.2016 से अपीलार्थी को NDC जारी की गई है तथा उसके पश्चात अपीलार्थी के पेंशन परिलाभों मे से काटी गई राशि 172000 रू. व ब्याज की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपीलार्थी को अधूरी सूचना उपलब्ध कराई गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी को 15 दिवस में उसके द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 1 की पूर्ण सूचना निः शुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जाते हैं।

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./88/2017(सू.अ.)/ दिनांकः– / /2017

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री श्रवण कुमार गुर्जर पूर्व नायब तहसीलदार, हाल ग्राम खेरमालिया, वाया निकुम्भ, तहसील बडीसादडी, जिला–चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)